प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग,
गोरखपुर/बस्ती/औरैया/सम्भल/इटावा/खीरी/मैनपुरी/लखनऊ/देवरिया ।

संख्या- /बजट/29(5)/अनु0-83/01(रा.)/RKVY/2018-19 दिनांक 15-12-18

वषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पशुपालन विभाग की परियोजनाओं के संचालन हेतु धनराशि का आॅवटन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-621/12-3-2018-100(58)/2017,दि0 28 जून, 2018 द्वारा (Establishment and Strengthening of existing veterinary hospitals and dispensaries(ESVHD) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में रू0 2610000.00 (रूपये छब्बीस लाख दस हजार मात्र) की प्राप्त स्वीकृति के आधार पर पशुपालन विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के लिए निदेशक,प्रशासन एवं विकास के पत्र सं0-981/सा0-1/एक्स-84/2017-18,दिनांक 12-11-2018 द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए योजना के सफल संचालन हेतु Alloment Grid Report में उल्लिखित धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपको आॅवटित की जाती है। शर्तो से विचलन की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें ।

(1) आॅवटित की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जायेगी ।

(2) आॅवटित की जा रही धनराशि का आॅवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित,बाह्य सहयातित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिसमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान(गैरवेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शा0सं0-3497/12-3-2012-100(70)/2012,दिनांक 07-11-2012 के अनुपालन में मा0 मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

(3) आॅवटित की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस. एल. एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाईन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जाये जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जाये और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जाये। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध कराई जाये। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाया। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भैतिक/वित्तीय प्रगति रिर्पोट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही निदेशक,पशुपालन विभाग,उ0प्र0 द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो ।

(5) आॅवटित की जा रही धनराशि से सम्भावित व्यय की फेजिंग,कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय। जहाॅ तक सम्भव हो,व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तकाल आवश्यकता होने पर ही किया जाय आॅवटित धनराशि का आहरण एकमुश्त न किया जाय क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन(कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही रखी जायेगी यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(6) ऑवटित की जा रही धनराशि के व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6-6-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डडर्स ऑफ फाइनेंन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(7) आहरण वितरण अधिकारी ऑवटित धनराशि से जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित किया जाय। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइड पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण नोडल अधिकारी, मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय ।

(8) वित्त लेखानुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-11,दि0 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे केडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र सं0-1-11011/58/2013-डी.बी.टी.,दि0 25-2-2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर(डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः ऑवटित धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

(9) ऑवटित धनराशि का समय पर सद्पयोग एवं उपभोग आगामी समय-सारिणी बनाकर सुनिश्चित कराया जायेगा।

(10) मानक मद 42-अन्य व्यय में ऑवटित धनराशि योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.) के अनुमोदन के सापेक्ष इंगित पशु चिकित्सालयों पर कार्यालय फर्नीचर की व्यवस्था में ही इस धनराशि का व्यय किया जायेगा। जिस हेतु योजनाधिकारी द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है।

(11) उक्त ऑवटित धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ का होगा ।

(12) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0203-पशुपालन की योजनायें के नामे डाला जायेगा ।

(13) ऑवटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑवटन पंजिका के कम संख्या-01(रा.)(अनुदान-83) पर अंकित कर ली गई है ।

<u>संलग्नक: यथोपरि</u> ।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक।

<u>संख्या- 960 / बजट/29(5)/अनु0-83/01(रा.)/RKVY/2018-19, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर/बस्ती/औरैया/सम्भल/इटावा/खीरी/मैनपुरी/कलैक्ट्रैट-लखनऊ/देवरिया ।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1)/लेखानुभाग,उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(3) अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग-3,सचिवालय,लखनऊ ।

(4) अनुसचिव,पशुधन अनुभाग-2,उ0प्र0शासन, सचिवालय,लखनऊ ।

(5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।

(6) योजनाधिकारी संयुक्त निदेशक(रो0नि0),मुख्यालय को निदेशक,प्रशासन एवं विकास पत्र सं0-981/सा0-1/एक्स-84/2017-18,दिनांक 12-11-2018 के कम में दिये गये आवंटन प्रस्ताव के अनुसार धनराशि का ऑवटन संबंधित को किया जा रहा है। कृपया व्यय/अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित आ0वि0अधिकारी को अपने स्तर से देने का कष्ट करें तथा व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(7) योजनाधिकारी नोडल अधिकारी,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पशुपालन विभाग,मुख्यालय ।

(8) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय ।

(9) कम्प्यूटर आपरेटर,मु0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विभागीय वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें ।

(10) व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय ।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-15/11/2018

प्रेषण संख्या:- 960
आवंटन आदेश संख्या:- 005-29-5-AUN-83-01-R-RKVY-2018-19
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2401 - फसल कृषि कर्म(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)
03 - पशुपालन की योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	मैनपुरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	252000 308800	9000 79000	261000 387800
2	इटावा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	84000 129800	3000 85000	87000 214800
3	गोरखपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	504000 569200	18000 73000	522000 642200
4	बस्ती-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	420000 466800	15000 64000	435000 530800
5	देवरिया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	336000 388500	12000 84000	348000 472500
6	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	336000 400400	12000 62000	348000 462400
7	लखीमपुर खीरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	84000 206000	3000 137000	87000 343000
8	औरैया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	252000 292800	9000 82000	261000 374800
9	सम्बल-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	252000 326500	9000 44000	261000 370500
	योग	वर्तमान प्रगामी	2520000 3088800	90000 710000	2610000 3798800

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छब्बीस लाख दस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सैंतीस लाख अठानवे हजार आठ सौ

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक